न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, राँची

एस ए आर अपील 20 आर 15/07–08

सुरेश महतो वगैरह	अपीलकर्त्ता
बनाम	
रंका उरांव	प्रतिवादी

आदेश

11
26.12.2007

यह अपील एस ए आर वाद संख्या 42/00–01 में उप समाहर्ता, भूमि सुधार सदर रांची द्वारा दिनांक 01.11.2006 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का निर्णय लिया है।

ग्राम	खाता	प्लाट	रकबा
पुरियो	357	1950	1.08 एकड
	373	1958	0.10 एकड

अपील आवेदन में कहा गया है कि निम्न न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। अपीलकर्त्ता को नोटिस भी तामिल नहीं किया गया। खाता नं. 357 गन्ना उरांव पिता जीतु उरांव के नाम खतियान में दर्ज है। गन्ना उरांव की 1940 में निःसंतान मृत्यु हो गयी। अतः कायमी अधिकार तत्कालीन जमींदार के पास चला आया। जमींदार खाता नं 357 प्लाट नं. 1950 के दखल में रहे। बाद में जमींदार द्वारा हरखु महतो, पिता गोपी महतो के साथ 03.04.1947 को हुकूमनामा से जमीन बंदोबस्त किया गया। हरखु महतो की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र धनेश्वर महतो, प्रसाद महतो, जलेश्वर महतो एवं मंगरा महतो दखलकार हुए। प्रतिवादी का खतियानी रैयत गन्ना उरॉव के परिवार से कोई संबंध

नहीं है। आवेदन में बताया गया है कि प्लॉट सं. 1950 के एक हिस्से में अपीलकर्त्ता का मकान है।

प्रतिवादी के जवाब में कहा गया है कि वे खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी हैं जो कि अंचल अधिकारी, बेड़ो के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट होता है। खतियानी रैयत गुना उरॉव, भुगलु उरॉव के घर दामाद थे। भूगलु उरॉव ने अपनी पुत्री सोमारी उराईन का विवाह गुन्ना उरॉव के साथ किया एवं उन्हें घर दमाद के रूप में रखा। रिविजनल सर्वे में गुन्ना उरॉव का नाम दर्ज हुआ। गुना उरॉव की 1935 में निःसंतान मृत्यु हो गयी जिसके कारण खाता सं. 373 एवं 357 के मालिकों के पास जमीन वापस चली गयी। खाता सं. 373 एवं 357 की क्रमशः 8 एकड़ 5 डिसमील एवं 3 एकड़ 97 डिसमील जमीन पर अपीलकर्ता के पिता छोटे उरॉव दखलकार हुए। जमाबंदी छोटे उरॉव के नाम से कायम है। निम्न न्यायालय ने अंचल अधिकारी, बेड़ो के प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर आदेश पारित किया है। निम्न न्यायालय में अपीलकर्त्ता, 16.04.2005 को वकालतनामा के साथ उपस्थित भी हुए थे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान क्रमशः अपील आवेदन एवं जवाब में वर्णित तथ्यों का ही उल्लेख किया।

वर्त्तमान अपील वाद एवं निम्न न्यायालय के अभिलेखा एवं उपलब्ध कागजातों से यह अस्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता द्वारा आदिवासी खाते की जमीन किस प्रकार प्राप्त की गयी। प्लॉट सं. 1950 के खतियानी रैयत के निःसंतान मृत्यु एवं जमींदार द्वारा जमीन वापस अपने दखल में करने की बात कही गयी है, परन्तु इसका कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। सादा हुक्मनामें से हस्तांतरण की बात भी गलत प्रतीत होती है क्योकि सरकारी राजस्व कागजातों में अपीलकर्त्ता का नाम दर्ज नहीं है। निम्न न्यायालय के अभिलेख में संलग्न अंचल अधिकारी, बेड़ो के प्रतिवेदन के अनुसार पंजी –।। में प्रतिवादी के पिता छोटे उरॉव

का नाम दर्ज है एवं लगान रसीद निर्गत होता है। जहॉ तक खाता 373, खेसरा संख्या 1958 का प्रश्न है, इसके संबंध में अपील आवेदन में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता धारा–46 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर विवादित जमीन पर दखलकार हैं। अतः निम्न न्यायालय का आदेश सही है एवं इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील अस्वीकृत किया जाता है।

दखल देहानी हेतु अंचल अधिकारी बेड़ो को निर्देश भेजें।

लेखापित वो संशोधित

दिनांक – 26.12.07

ह0/–

अपर समाहर्त्ता,
राँची।